(ख) देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जहां आज भी 75 प्रतिशत से अधिक घरों में शौचालय नहीं हैं; या ऐसे शौचालय हैं, जिनका मल मेहतरों को अपने सिर पर उठाना पड़ता है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रतिपादित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रकार के शौचालयों को परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निश्चित की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है (क) से (घ) देश में अलग अलग टाउन एरिया कमेटी तथा नगर-पालिकाओं के संबंध में ब्यौरा यद्यपि उपलब्ध नहीं है, किन्तु योजना आयोग द्वारा गठित एक कार्यदल ने नेशनल सेम्पल सर्वे के परिणामों के आधार पर अनुमान लगाया है कि 1989 में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 72.06 और 24.80 लाख परिवार शुष्क शौचालयों का प्रयोग कर रहे थे।

विवरण

देश में सिर पर मल ढोने की प्रथा का समाप्त किया जाना तथा शुष्क शौचालयों को नई किस्म के शौचालयों में परिवर्तित करना।

भारत सरकार ने कम लागत की स्वच्छता तथा सिर पर मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने की एक एकीकृत योजना शुरू की है। इस योजना के एक समयबद्ध रूप में कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों को मार्ग-निर्देश परिचालित किये गये हैं। उनसे पालिका उपनियमों में संशोधन करने, जहां आवश्यक है, का भी अनुरोध किया गया है ताकि शुष्क शौचालय के और निर्माण को रोका जा सके। इस योजना में "सम्पूर्ण नगर दृष्टिकोण" पर विचार किया गया है और इसमें प्रतिवर्ष 500 नगर शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना को राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा अनुशंसित शहरी स्थानीय निकायों को समक्रमिक रूप में केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता और हुडको से ऋण उपलब्ध कराकर हुडको के माध्यम से चलाया जा रहा है। योजना का वित्त पोषण पैटर्न इस प्रकार है:—

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	45 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 50% ऋण और 5% लाभानुभोगी का अंशदान।
निम्न आय वर्ग	25% आर्थिक सहायता, 60% ऋण और 15% लाभानुभोगी का अंशदान।
मध्यम आय वर्ग/ उच्च आय वर्ग	"शून्य" आर्थिक सहायता, 75% ऋण और 25% लाभानुभोगी अंशदान।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने और कम लागत वाले स्वच्छता एककों का निर्माण करने तथा सिर पर मल ढोने वालों के पुनर्वास के लिये किया जाना है।

इस योजना में मानव द्वारा सिर पर मल ढोने की प्रथा को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्भव सीमा तक समाप्त करने की परिकल्पना है।

रेलवे द्वारा जारी किए गए मानद पास

*17. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा जनवरी, 1991 से अप्रैल, 1992 के बीच कितने पास मानद रूप में जारी किए गए;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितने पास तत्कालीन रेल मंत्री के आदेश पर जारी किए गए?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) 1.1.91 से 30.4.91

तक की अवधि के दौरान, 115 मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए थे, जिनमें पहला दर्जा वातानुकूल श्रेणी के 5, पहले दर्जे के 99 तथा दूसरे दर्जे के 11 मानार्थ कार्ड पास थे।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें मानार्थ कार्ड पासों का ब्यौरा दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 159, अनुपत्र सं० 1)

(ग) सभी पास, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, रेल मंत्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किए गए हैं।

*18.[*Transferred to the 16th Jully*, 1991].

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

*19. **श्री राम जेठमलानी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने 1983 में पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियों को दिल्ली में भूमि के आवंटन के प्रयोजनार्थ, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास राशि जमा कराने का पिछले वर्ष निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी समितियों को राशि जमा करने का निदेश दिया गया था और उनसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इन समितियों को भूमि आवंटित कर दी गई हैं; यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन समितियों को भूमि का आवंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) 1983 में पंजीकृत 403 सहकारी सामूहिक आवास समितियों में से, जिन्हें प्रत्येक को 5 लाख रुपये धरोहर राशि जमा कराने के निदेश दिये गये थे, 371 समितियों ने 18.50 करोड़ रु० की कुल राशि जमा की। इनमें से 216 समितियों को आवंटन एवं मांग पत्र जारी किये गये थे और उनसे भूमि की लागत का 50% जमा करने के लिये कहा गया था। ऐसी 194 समितियों से 43.56 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) इन समितियों को भूमि के आवंटन पर उच्च न्यायालय द्वारा 10.5.91 को रोक लगा दी गई थी। उच्च न्यायालय के फ़ैसले को ध्यान में रखते हुये मामले की जांच की जा रही है।

मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन बिहार का नवीकरण

*20. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुजफ़्फ़रपुर रेलवे स्टेशन के नवीकरण के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसके नवीकरण का कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत मुजफ़्फ़रपुर रेलवे स्टेशन के ढांचे में पहले ही व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। इस कार्य की अनुमानित लागत 173.62 लाख रुपये है।